Title: Need to look into the grievances of sugarcane growers particularly in Eastern Uttar Pradesh.

1438 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-eight minutes

past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us now take up matters under Rule 377.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, पडरौना, महाराजगंज, बस्ती सघन गन्ना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसानों की मुख्य नकदी फसल गन्ना ही है। आज इस क्षेत्र का गन्ना किसान भुखमरी की स्थिति में है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में गोरखपुर की सरेया चीनी मिल पर गन्ना किसानों का २३ करोड़ रुपया, कप्तानगंज पर १६ करोड़ रुपया, खलीलाबाद पर लगभग ३ करोड़ रुपया बकाया है। यही स्थिति भारत सरकार द्वारा संचालित आनन्दनगर (महाराजगंज) तथा पडरौना और कठकुइंया चीनी मिलों की है जो पिछले कुछ समय से बंद चल रही हैं और जिन पर गन्ना किसानों का लगभग २० करोड़ रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों पर १६ फरवरी १९९९ के बाद का गन्ना भुगतान शेष है। उत्तर प्रदेश सरकार इन चीनी मिलों को एक-एक करके बंद करने जा रही है। घुघली, छितौनी, मुडरेवा, हरदोई, रामपुर, मेरठ की चीनी मिलें २७.१०.९९ को बंद कर दी गई तथा अन्य चीनी मिलें जिनमें पिपराइच, रामकौला, बेतालपुर, धुरियापार आदि प्रमुख हैं। ये मिलें बंद होने वाली हैं। इन चीनी मिलों का समय से आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण न होने से उपरोक्त चीनी मिलों द्वारा वर्षों से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न कर पाने के कारण जहां किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है वहीं सरकार द्वारा इन चीनी मिलों को बंद करने के निर्णय से किसानों, मिल के कर्मियों तथा आम जन मानस में भी भारी आक्रोश है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए अलग से एक गन्ना नीति बनाई जाए, गन्ने के मूल्य का भुगतान अविलम्ब किया जाए तथा चीनी मिलों के बंदीकरण को रोक कर उनका आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण किया जाए।